"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

# (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 मई 2019 — वैशाख 16, शक 1941

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भगत सिंह चौक, शंकर नगर रोड, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 2 मई 2019

## अधिसूचना

क्रमांक 311/पेड/2014/सू.प्रौ. — छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एतद द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम–2014 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात :-

### संशोधन

उक्त नियमों में -

1. नियम 19 के उपनियम 19.2 को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर नवीन प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाय :-

"19.2 आयोग द्वारा प्रकाशित चयन सूची व अनुपूरक सूची जारी किए जाने की तिथि से क्रमशः एक वर्ष तथा डेढ़ वर्ष की अविध के लिए वैध रहेगी। विशेष परिस्थितियों में आयोग द्वारा अनुपूरक सूची की वैधता 06 माह की अविध हेतु बढ़ाई जा सकेगी, परंतु किसी भी स्थिति में 02 वर्ष से अधिक नहीं होगी। पुरानी चयन सूची जारी होने के एक वर्ष पश्चात समान पद हेतु नवीन चयन सूची जारी होने की तिथि को पुरानी अनुपूरक सूची की वैधता समाप्त हो जाएगी।"

- 2. नियम 19 में उपनियम 19.5 के बाद निम्नानुसार नया उपनियम 19.6 जोड़ा जाय:—
  - "19.6 मुख्य चयन सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी पदभार ग्रहण करने के पश्चात पद से त्याग पत्र दे दिया हो या अन्यत्र नियुक्ति होने के कारण अथवा अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने से पद रिक्त हो गया हो, तो उस पद को रिक्त नहीं माना जाएगा। यदि किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो या किसी कारण से नियुक्ति कें लिए अयोग्य हो जाने या पदभार ग्रहण नहीं किया हो तथा चयन सूची की वैधता अविध में पद रिक्त रह जाता है तभी अनुपूरक सूची से संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थी से रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकती है।"
- 3. नियम 56.8 के प्रथम पंक्ति में शब्द ''मूल फोटो पहचान पत्र'' को विलोपित किया जाय तथा उसके स्थान पर ''मूल फोटो पहचान पत्र अथवा यू,आई.डी.ए.आई. के वेबसाईट से डाउनलोड किया गया ई—आधार'' प्रतिस्थापित किया जाय।

हस्ता./-

(पुष्पा साहू) सचिव.

#### Raipur, the 2nd May 2019

#### NOTIFICATION

No. 311 / पेंड / 2014 / सू.प्रो.— Chhattisgarh Public Service Commission here by makes the following Amendments in the Chhattisgarh Public Service Commission Rules of Procedure-2014, Namely :-

#### **AMENDMENT**

In the said rule-

- 1. Sub rule 19.2 of rule 19 shall be deleted and following sub rule shall be substituted in place of it-
  - "19.2 Selection and waiting list published by the commission shall remain valid consequently for the duration of one year and one and half year since the issue date. In extra ordinary circumstances validity of waiting list shall be extended by commission for period of six months but not more than two years in any circumstance. After one year of issuance of old selection list, validity of waiting list will be ended on issue date of new selection list for the same post."
- 2. New sub rule 19.6 shall be inserted after sub rule 19.5 in rule 19
  - "19.6 If after taking charge any candidate from candidates, mentioned in the main selection list, resigns from any post or due to another appointment or due to death of the candidate post remains vacant then that post shall not be considered vacant. If due to any reason no candidate available or due to any reason found not eligible for appointment or not taken charge and post remains vacant in validity period of the selection list, only then posts may be full fill by candidates of relevant category from waiting list"
- 3. In first line of rule 56.8, word "original photo identity card" shall be deleted and in that place" original photo identity card or e-Aadhar downloaded from website of U.I.D.A.I." shall be inserted.

Sd/-

(Pushpa Sahu) Secretary.